बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

24

आदेश

संख्या–11/चक0–(चालक–संविदा)–मु0–11–01/2022 854 चक0, पटना, दिनांक 17/08/2022

श्री अशोक कुमार, चालक, चकबंदी निदेशालय, पटना को दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्ति पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 एवं पत्रांक 2877 दिनांक 28.02.2016 में निहित शर्तों के अधीन सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः उसी स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रस्ताव भेजी गयी थी।

सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की दिनांक 28.07.2022 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका–3(2)(क)(V) तथा 3(2)(ख)(V) के तहत नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति होने तक के लिये संविदा के आधार पर नियोजन करने की अनुशंसा की गयी है।

गठित चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार, चालक, चकबंदी निदेशालय, पटना को दिनांक 30.06.2022 के सेवानिवृत्ति पश्चात् प्रथम चरण में दो वर्षों के लिये अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है कि श्री कुमार का कार्य असंतोषजनक रहने की स्थिति में बिना कारणपृच्छा किये सेवा समाप्त कर दी जायेगी। कार्यों की समीक्षोपरान्त पुनः एक–एक वर्ष के लिए अधिकतम 65 वर्ष की उम्र सीमा विस्तार किया जा सकता है।

2. श्री कुमार का योगदान के समय संविदा नियोजन का सेवाशर्त्त के साथ–साथ असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा। श्री राय का मानदेय योगदान की तिथि से हीं देय होगी।

3. मासिक मानदेय का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका (7)(III) में उल्लिखित दर के अनुसार संविदा नियोजन मानदेय का भुगतान स्थापना शीर्ष **व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ** इकाई, यूनिट कोड– **28 02** में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।

4. संविदा नियोजन पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0 10000 दिनांक 10.07.2015 के कंडिका (7)(III) में उल्लिखित दर के अनुसार नियत मानदेय का भुगतान निम्न परिगणना के अनुसार परिगणित होगी।

(i) दिनांक 30.06.2022 को अंतिम मूल वेतन– 60400/–
(ii) दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त पश्चात् अनुमान्य पेंशन– 30200/–
(iii) कंडिका (i) एवं (ii) को घटाने पर वेतन – 30200/–
(iv) कंडिका (iii) के अनुसार अनुमान्य महँगाई भत्ता (34%)–10268/–
(v) नियत मानदेय राशि कंडिका (iii) + (iv) = 40468/–

5. **संविदा के आधार पर योगदान तिथि को स्थिर मासिक मानदेय भुगतेय राशि 40468/– (चालिस हजार चार सौ अड़सठ) रूपये मात्र।**

6. **प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।**

17/8/2022

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 854/**चक0, पटना, दिनांक** 17/08/2022/

प्रतिलिपि :– अनुदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, चकबंदी निदेशालय, पटना/लेखा शाखा/बजट शाखा, चकबंदी निदेशालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/श्री अशोक कुमार, संविदा चालक, चकबंदी निदेशालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/8/2022

संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु0)
बिहार, पटना।